रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 1983/चैत्र 29, 1905
No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 1983/CHAITRA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त का कार्यालय (औषधि)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1983

का० आ० 321(अ).—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि और भैषजिक उद्योग के लिए विकास परिषद् की स्थापना करती है । उक्त विकास परिषद् राष्ट्रीय औषधि और भैषजिक विकास परिषद् के नाम से ज्ञात होगी और इस आदेश के उपाबंध I में विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनकी नियुक्ति की अवधि इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

2. उक्त विकास परिषद इस आदेश के उपाबंध II में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगी ।

3. श्री विनय मलिक संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली को उक्त विकास परिषद् का सदस्य सचिव के कृत्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

[सं० 7(7) 83-डी० II]
विनय मलिक संयुक्त सचिव

उपाबंध-I

औषधि और भैषजिक उद्योग के लिए विकास परिषद् के सदस्यों की सूची :—

1. श्री बसंत साठे, मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय —अध्यक्ष
2. श्री राम चन्द्र रथ, राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय —उपाध्यक्ष
3. श्री एस० रामनाथन, सचिव, रसायन और उर्वरक विभाग —सदस्य
4. डा० आई० डी० बजाज, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मंत्रालय —सदस्य
5. डा० एस० एम० घोथोस्कर, औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य मंत्रालय —सदस्य
6. श्री कृष्ण मोहन भाभी दीपति, संसद सदस्य, राज्य सभा —सदस्य
7. श्री महेन्द्र प्रसाद, संसद् सदस्य, लोक सभा —सदस्य
8. डा० वी० रामलिंगस्वामी, अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली —सदस्य
9. प्रो० शर्मा, रासायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय मुम्बई —सदस्य
10. श्री नाम जोशी, देशी औषधि में विशेषज्ञ, मुम्बई —सदस्य
11. डा० नित्यानन्द, निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ —सदस्य

12. डा० एम० जी० गर्ग, अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान संगम, दिल्ली। —सदस्य

13. श्री जार्ज ऐशियल, अध्यक्ष, भारत भैषजी निर्माता संगठन मुम्बई —सदस्य

14. श्री जे० बी० मोदी, अध्यक्ष, भारतीय औषधि विनिर्माता संगम, मुम्बई —सदस्य

15. श्री जगमोहन सिंह कोहड़, अखिल भारतीय औषधि लघु उद्योग विनिर्माता संगम दिल्ली —सदस्य

16. श्री वाई० एम० घारपुरे, प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे —सदस्य

17. श्री विनोभाई शाह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय रसायनज्ञ संगठन —सदस्य

18. डा० बी० बी० गायतोंडे —सदस्य

19. श्री राजा कुलकर्णी, श्रमिक नेता, मुम्बई —सदस्य

20. डा० एम० पी० बलाल, मुख्य हृदय रोग विज्ञानी, सिल्वर जुबली हृदय रोग पुनर्वास और अनुसंधान केन्द्र परियोजना सदर, नागपुर —सदस्य

21. श्री यशोधन काले, चार्टर्ड एकाउण्टेंट, मुम्बई —सदस्य

22. श्री एम० सत्यपाल, सचिव, डी जी टी डी —सदस्य

23. श्री डी० सावेरा, अध्यक्ष, निर्यात संवर्धन परिषद् —सदस्य

24. डा० वी० वैंकिटनारायणन्, संयुक्त सचिव, (औषधि) —सदस्य

25. श्री विनय मलिक, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि) —सदस्य सचिव

उपाबंध II

औषधि और भैषजिक उद्योग के लिए विकास परिषद् के कृत्य

(1) उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना, उत्पादन कार्यक्रमों का समन्वय करना और प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना ;

(2) अपशिष्ट का उन्मूलन करने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, क्वालिटी में सुधार करने और लागत में कमी करने की दृष्टि से दक्षता प्रमापों का सुझाव देना ;

(3) संस्थापन क्षमता का पूर्णतया उपयोग करने और उद्योग के विशेषतया कम दक्षता वाले एककों के कार्यकरण में सुधार सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(4) उद्योग के उत्पाद के बेहतर विपणन के लिए इंतजाम का संप्रवर्तन करना और उसके वितरण तथा विक्रय की ऐसी प्रणाली की स्थापना करने में सहायता देना जो उपभोक्ता के समाधान-प्रद रूप में हो ;

(5) उत्पादों के मानकीकरण का संप्रवर्तन करना ;

(6) नियंत्रित सामग्री के वितरण में सहायता करना और उद्योग के लिए सामग्री प्राप्त करने के इंतजाम के संप्रवर्तन में सहायता करना ;

(7) सामग्री और उपस्कर तथा उत्पादन प्रबंध और श्रम उपयोग, जिसके अंतर्गत नई सामग्री, उपस्कर और उनके सुधार की पद्धतियां जो पहले से ही प्रयोग में हैं का पता चलाने और विकास, भिन्न भिन्न अनुकल्पी लागतों का निर्धारण और वाणिज्यिक आधार पर स्थापन प्रयोग तथा परीक्षणों के संचालन का संप्रवर्तन करना या जांच करना ;

(8) उद्योग में लगे हुए या लगने के लिए प्रस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण और उससे सुसंगत तकनीकी या कलात्मक विषयों में उनकी शिक्षा का संप्रवर्तन करना ;

(9) उद्योग में लगे हुए या उससे छटनी किए हुए कर्मचारिवृंद के अनुकल्पी उपजीविकाओं में पुनः प्रशिक्षण का संप्रवर्तन करना ;

(10) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का औद्योगिक मनोविज्ञान पर प्रभाव डालने वाले विषयों में अनुसंधान का और उत्पादन से संबंधित विषयों में अनुसंधान का तथा उद्योग द्वारा प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के उपभोग या उपयोग का संप्रवर्तन करना या उनमें अनुसंधान करना ;

(11) लेखा और लागत तरीकों तथा पद्धति के सुधार और मानकीकरण का संप्रवर्तन करना ;

(12) आंकड़ों के संग्रहण और सूत्रण का संप्रवर्तन करना या उन्हें करना ;

(13) सहबद्ध लघु और कुटीर उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विकेन्द्रीकरण प्रक्रमों और उत्पादन की प्रक्रिया की संभावनाओं की जांच करना ;

(14) श्रम की उत्पादकता में जिसके अन्तर्गत कर्मकारों के लिए सुरक्षात्मक और बेहतर दशाएं सुनिश्चित करने के उपाय तथा उनके लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था और उसमें सुधार और प्रोत्साहन भी हैं, वृद्धि करने के उपायों को अंगीकार करने का संप्रवर्तन करना ;

(15) उद्योग से संबंधित किन्हीं विषयों के बारे में सलाह देना (पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों से भिन्न) जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् से सलाह देने के लिए अनुरोध करे और सलाह देने के लिए विकास परिषद् को समर्थ बनाने के प्रयोजन से जांच करना, और

(16) अभिप्राप्त जानकारी उद्योग को उपलब्ध कराने के लिए और उन विषयों के बारे में जिनसे विकास परिषद् अपने कृत्यों का प्रयोग करते हुए संबंधित है, सलाह देने के लिए प्रबंध करना।

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZER

Office of the Development Commissioner (Drugs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 1983

S.O. 321(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby establishes a Development Council for the Drugs and Pharmaceuticals Industry. The said Development Council shall be known as the National Drugs and Pharmaceuticals Development Council and shall consist of the members specified in Annexure I to this Order, whose tenure of appointment shall be for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

2. The said Development Council shall perform functions as are specified in Annexure II to this Order.

3. Shri Vinay Malik, Joint Secretary and Development Commissioner (Drugs), Ministry of Chemicals and Fertilizers, New Delhi is hereby appointed to carry on the functions of the Member-Secretary to the said Development Council.

[No.7(7)/83-D.II]
VINAY MALIK, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

List of the Members of the Development Council for Drugs and Pharmaceuticals Industry.

1. Shri Vasant Sathe, Minister of Chemicals & Fertilizers — Chairman
2. Shri Ram Chandra Rath, Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers — Vice-Chairman
3. Shri S. Ramanathan, Secretary, Ministry of Chemicals & Fertilizers — Member
4. Dr. I.D. Bajaj, Director General of Health Services, Ministry of Health. — Member
5. Dr. S.S. Gothoskar, Drug Controller, Ministry of Health. — Member
6. Shri Krishan Mohan Bhamidipati, Member of Parliament from Rajya Sabha. — Member
7. Shri Mahendra Prasad, Member of Parliament, Lok Sabha. — Member
8. Dr. V. Ramalingaswami, Chairman, Indian Council of Medical Research. — Member
9. Prof. Sharma, Department of Chemical Technology, Bombay University, Bombay. — Member
10. Dr. Nam Joshi, Specialist in Indigenous Medicines, Bombay. — Member
11. Dr. Nityanand, Director, Central Drug Research Institute, Lucknow. — Member
12. Dr. M.G. Garg, President, Indian Medical Association, Delhi. — Member
13. Mr. George Daniel, President, Organisation of Pharmaceutical Producers of India, Bombay. — Member
14. Shri J.B. Modi, President, Indian Drug Manufacturers Association, Bombay. — Member
15. Shri Jagmohan Singh Kochar, All India Small Scale Drug Manufacturers Association, Delhi. — Member
16. Shri Y.H. Gharpure, Managing Director, Hindustan Antibiotics Ltd., Poona. — Member
17. Shri Vinoobhai Shah, President, All India Organisation of Chemists & Druggists. — Member
18. Dr. B.B. Gaitonde, New Delhi. — Member
19. Shri Raja Kulkarni, Labour Leader, Bombay. — Member
20. Dr. M.P. Ballal, Chief Cardiologist Silver Jubilee Cardiac, Rehabilitation & Research Centre, Project Sadar, Nagpur. — Member
21. Shri Yashodhan Kale, Chartered Accountant, Bombay. — Member
22. Shri M. Satyapal Secretary, DGTD. — Member
23. Shri D. Zaveri, Chairman, Export Promotion Council, Bombay. — Member
24. Dr. V. Venkitanarayanan, Joint Secretary (Drugs), Ministry of Chemicals & Fertilizers. — Member
25. Shri Vinay Malik, Joint Secretary and Development Commissioner (Drugs)., Ministry of Chemicals & Fertilisers. — Member-Secretary

ANNEXURE-II

Functions of the Development Council for Drugs and Pharmaceuticals Industry

(1) Recommending targets for production, co-ordinating production programmes and reviewing progress from time to time.

(2) Suggesting norms of efficiency with a view to eliminating waste, obtaining maximum production, improving quality and reducing costs.

(3) Recommending measures for securing the fuller utilisation of the installed capacity and for improving the working of the industry, particularly of less efficient units.

(4) Promoting arrangements for better marketing and helping in the *devising of a system of distribution* and sale of the produce of the industry which would be satisfactory to the consumer.

(5) Promoting standardisation of products.

(6) Assisting in the distribution of controlled materials and promoting arrangements for obtaining materials for the industry.

(7) Promoting or undertaking, inquiry as to materials and equipment and as to methods of production, management and labour utilisation, including the discovery and development of new materials, equipment and methods and of improvements in those already in use, the assessment of the advantages of different alternatives and the conduct of experimental establishments and of tests on a commercial scale.

(8) Promoting the training of persons engaged or proposing engagement in the industry and their education in technical or artistic subjects relevant thereto.

(9) Promoting the retraining in alternative occupations of personnel engaged in or retrenched from the industry.

(10) Promoting or undertaking scientific and industrial research, research into matters affecting Industrial Psychology and research into matters relating to production and to the consumption or use of goods and services supplied by the industry.

(11) Promoting improvements and standardisation of accounting and costing methods and practice.

(12) Promoting or undertaking the collection and formulation of statistics.

(13) Investigating possibilities of decentralising stages and process of production with a view to encouraging the growth of allied small scale and cottage industries.

(14) Promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour, including measures for securing safer and better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers.

(15) Advising on any matters relating to the industry (other than remuneration and conditions of employment) as to which the Central Government may request the Development Council to advise and undertaking inquiries for the purpose of enabling the Development Council so to advise, and

(16) Undertaking arranagments for making available to the industry information obtained and for advising on matters with which the Development Council are concerned in the exercise of any of their functions.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983